कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन –शाखा) मध्यप्रदेश सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक/निर्वेतन/ 2862 भोपाल, दिनांक 4 /जुलाई/09

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश।

विषयः- नीलाम शर्तों में संशोधन एवं परिवर्धन।

****

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 25 23 2008 दस 3 दिनांक 11.06.09 व्दारा नीलाम शर्तों में संशोधन तथा नवीन शर्तें जोडी गई है। उक्त अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19.06.09 (भाग 4 (ग) पृष्ठ क्रमांक 375 एवं 376) में प्रकाशित हुई है। अतएव राजपत्र दिनांक 19.06.09 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/निर्वेतन/ 2863 भोपाल, दिनांक 4 /जुलाई/09

प्रतिलिपि समस्त वन मंडलाधिकारी,(क्षेत्रीय/उत्पादन) मध्यप्रदेश की ओर राजपत्र दिनांक 19.06.09 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2009

क्र. एफ. 25-23-2008-दस-3.—स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय को विनियमित करने के संबंध में राज्य शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2343-2751-दस-3-89, दिनांक 30 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित नियमों में, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. **शर्त 2 (ग) (एक) में संशोधन.**—शर्त 2(ग)(एक) में ''मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र. दो सन् 1959)'' के स्थान पर ''मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002 (क्र. बीस सन् 2002) एवं मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006'' प्रतिस्थापित किया जाए.

2. **नवीन शर्त क्रमांक 20 (क) एवं 20 (ख) जोड़ा जाना.**—उक्त शर्तों में वर्तमान में शर्त क्रमांक 20 के पश्चात् निम्नानुसार नवीन शर्त 20(क) एवं 20 (ख) जोड़ी जावें, अर्थात् :—

''20(क) (i) किसी नीलाम में निर्वर्तित किसी लॉट की बोली स्वीकार किये जाने के उपरान्त एवं क्रेता द्वारा परिदान आदेश प्राप्त कर क्रय की गई वनोपज का परिवहन कर लिये जाने के पूर्व उस लॉट के विषय में युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुये उक्त लॉट के विक्रय को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संबंधित मुख्य वनसंरक्षक/वृत्त के भारसाधक अधिकारी को होगा.

(ii) मुख्य वनसंरक्षक/वृत्त के भारसाधक अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि नीलाम दिनांक से 7 दिवस के भीतर किसी लॉट विशेष के विषय में पूर्ण नाम एवं पते सहित शिकायत प्राप्त होने पर वह उसका निराकरण (जिसमें लॉट निरस्तीकरण, भी सम्मिलित है) शिकायत प्राप्ति के दिनांक से 7 दिवस के भीतर करें.

20(ख) मुख्य वनसंरक्षक/वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा शर्त 20(क) (i) एवं 20(क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप पारित निर्णय के विरुद्ध आदेश दिनांक से 7 दिवस के भीतर अपील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय में उत्पादन शाखा के भारसाधक अधिकारी को की जा सकेगी, जिसका निराकरण आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में किया जावेगा.''

3. **शब्दों का प्रतिस्थापन.**—नियमों में जहां-जहां शब्द ''वन संरक्षक'' शब्द आये हों, उसके स्थान पर ''मुख्य वन संरक्षक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी'' तथा शब्द ''वनमंडलाधिकारी'' के स्थान पर वन शब्द ''वन संरक्षक/वनमंडल के भारसाधक अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2009

क्र. एफ-25-23-2008-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-23-2008-दस-3, दिनांक 11 जून 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 11th June 2009

No. F-25-23-2008-X-3.—The State Government hereby, amends the rules to regulate the sale of timber/fuel wood/charcoal through auction from established depots, published *vide* notification No. 2343-2751-X-3-89 dated 30th May 1989 as follows namely :—

AMENDMENT

1. **Amendment in condition 2(c)(i).**—In condition 2(c)(i) for the words "Madhya Pradesh General Sales Tax Adhiniyam, 1958 (No.2 year 1959)", the words "Madhya Pradesh VAT Act 2002 (No. 20 year 2002)" and Madhya Pradesh VAT Rules 2006" shall be substituted.

2. **Addition of new conditions No. 20(A) and 20 (B).**—In the said conditions, the following new conditions No. 20 (A) and 20 (B) shall be added after present condition 20. as follows. namely:-

"20 (A) (i) Chief Conservator of Forests/ Officer holding charge of the Forest Circle shall have full powers of cancellation, giving full justification for its cancellation, of a lot before its transportation for which a bid has been accepted and lifting orders pertaining to it have been issued.

(ii) On receipt of any written complaint giving complainant's full name and address regarding any particular lot a decision (which may include cancellation of the lot in question also) shall have to be taken by Chief Conservator of Forests/ Officer holding charge of the Forest Circle within 7 days from the date of the receipt of such complaint.

20(B) Against any order passed by the Chief Conservator of Forests/ Officer holding charge of the Forest Circle exercising the powers vested in him under condition 20 (A) (i) & 20 (A) (ii), an appeal shall may be preferred to the Officer holding chargeof production branch in the office of Principal Chief Conservator of Forests. Which shall be decided within seven days of preferring such appeal.

3. **Substitution of words.**—In the said rules, wherever they occur, for the words "Conservator of Forest", the words "Chief Conservator .of Forests/ Officer holding charge of the Forest Circle", and for the words "Divisional Forest Officer" the words "Conservator of Forest/Officer holding charge of the Forest Division" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.